पत्रांक–2 / यो0–5010 / 2016–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, 01 दिनांक–

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में **"सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो"** स्कीम अंतर्गत संचालित बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के कार्यालय कार्य हेतु ₹99,99,000 / –(रूपये निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य स्कीम अंतर्गत **"सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो"** स्कीम के तहत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2063 / वि० दिनांक–11.03.16 के आलोक में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के कार्यालय को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु ₹99,99,000 / –(रूपये निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय पर योजना की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपबंधित राशि बिहार राज्य के इच्छुक आवेदको को विदेशों में नियोजन, इमीग्रेशन सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य का संपादन तथा संबंधित रिक्रूटिंग एजेंट, कन्सल्टेन्ट एवं नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठानों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन, कार्यालय व्यय, वाहन, भ्रमण इत्यादि पर व्यय किया जाना है।

3. इस स्कीम के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–02, रोजगार सेवाएं–समुह शीर्ष राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएँ–उप शीर्ष–0112– "सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो", मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26-2230021010112 के विषय शीर्ष– 31 06–"सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" मद हेतु ₹99,99,000 / –(रूपये निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. इस स्कीम अंतर्गत राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) द्वारा करते हुए "बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो" जो सोसायटी के रूप में गठित है, के PL A/C no-PBB-PLA-017 में हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत स्कीम अंतर्गत राशि का आवंटन, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा राशि के मांग किए जाने के फलस्वरूप पी0एल0ए0 खाता में राशि का हस्तांतरण संबंधी वित्त विभागीय संकल्पों / नियमों एवं अनुदेशों का विधिवत पालन करते हुए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत किया जायेगा जो नियंत्री पदाधिकारी है।

6. स्कीम हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। यह चालू योजना है।

7. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग की सहमति पृ0–...33...... / टि0 पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन टि0 पृ0–...34..... / टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–2 / यो0–5010 / 2016– पटना, 01 दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, बिहार, पटना / प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2 / यो0–5010 / 2016–518 पटना, 01 दिनांक–22/5/2025

प्रतिलिपि–सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सचिव / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, के आप्त सचिव / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.5.25
सरकार के संयुक्त सचिव